

12.06.2018 न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम. एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेशी में ली गई प्रकरण के सन्दर्भ में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई रिपोर्ट में कथन किया गया कि चक 18 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21 से 25 में जो रास्ता स्वीकृत है मौका पर चालू है किला नम्बर 25 में आगे रास्ता स्वीकृत न होने के कारण रास्ता बन्द है।

विवादीत आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया बाद निरीक्षण पाया गया कि रास्ता मौके पर चालू है तथा आगे के काश्तकारान द्वारा रास्ते को और आगे स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया गया है जिसके सम्बंध में एक अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है, जिसमें उक्त रास्ते को आगे बढ़ाते हुए रास्ते स्वीकृत किया जा चुका है। अतः वादी द्वारा रास्ते को निरस्त किये जाने की मांग अनुचित होने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर (राजस्व)
श्रीगंगानगर